उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

//ज्ञापन//

क्रमांक B/4608 /दो–15–28/87 जबलपुर, दिनॉक 25/11/2020

प्रति,

समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मध्यप्रदेश।

विषयः–म.प्र न्यायिक सेवा के अधिकारियों को एल.एल.एम की उपाधि धारण किये जाने के फलस्वरूप वेतन वृद्धि स्वीकृति किये जाने बावत्।

––000––

प्रायः देखने में आ रहा है कि, विभिन्न जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा उनकी स्थापना में पदस्थ म.प्र. न्यायिक सेवा के अधिकारियों को एल.एल.एम की उपाधि धारण किये जाने के फलस्वरूप तीन अग्रिम वेतनवृद्धियॉ स्वीकृत किये जाने हेतु आवेदन पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु रजिस्ट्री को प्रेषित किये जा रहे हैं।

चूंकि म.प्र. न्यायिक सेवा के अधिकारियों की सेवा पुस्तिका उनकी वर्तमान पदस्थापना में संधारित की जाती है तथा वेतनवृद्धि स्वीकृत संबंधी कार्यवाही भी आपकी स्थापना द्वारा ही की जाती है।

अतः समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश से अनुरोध है कि, आपकी स्थापना में कार्यरत् म.प्र. न्यायिक सेवा के अधिकारियों को एल.एल.एम की उपाधि धारण करने तथा रजिस्ट्री द्वारा उन्हें स्थायीकरण संबंधी प्रमाण पत्र जारी किये जाने के फलस्वरूप नियमानुसार तीन अग्रिम वेतनवृद्धियॉ स्वीकृत किये जाने संबंधी कार्यवाही आपके कार्यालय द्वारा की जावेगी।

संलग्नः– म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश दिनॉक 15.01.2010 की छायाप्रति।

(अजय पवार)
रजिस्ट्रार (एम)

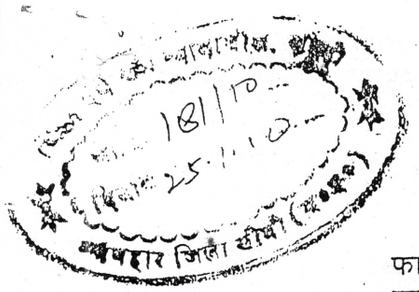

181/10
25.1.10
व्यवहार जिला सीधी (म0प्र0)

Acctt
25.1.2010

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

/आदेश/

भोपाल, दिनांक 15.1.2010

फा0कमांक 3(ए)19/2003/21-ब(एक) राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल)कमांक 1022/89 ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन एवं अन्य विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में, दिनांक 21 फरवरी, 2006 को दिए गए निर्देशों के परिपालन में, ऐसे न्यायिक अधिकारी, जिन्होंने विधि में स्नातकोत्तर डिग्री एल0एल0एम0 की उपाधि धारण की हो, को दिनांक 1.12.2009 से 3 अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान करता है ।

उक्त आदेश वित्त विभाग के यू0ओ0कमांक 2326/09/नि/चार, दिनांक 12.1.2010 द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति के आलोक में जारी किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,

(एन0 के0 गुप्ता)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग.

पृ0क0 3(ए)19/2003/21-ब(एक). भोपाल, दिनांक 15जन0,2010

प्रतिलिपिः-

1. याचिका के प्रभारी अधिकारी सचिव, म0 प्र0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर प्रेषित। कृपया पालन प्रतिवेदन माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें ।
2. प्रमुख सचिव, म0 प्र0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल
3. रजिस्ट्रार जनरल, म0 प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर
4. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, म0 प्र0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर /ग्वालियर
5. प्रमुख सचिव, म0 प्र0 शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
6. प्रमुख सचिव, म0 प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
7. प्रमुख सचिव, म0 प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
8. प्रमुख सचिव, म0 प्र0 शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मंत्रालय, भोपाल.

.....2/-

9. प्रमुख सचिव, म0 प्र0 शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभ मंत्रालय, भोपाल.
10. प्रमुख सचिव, म0 प्र0 शासन, उर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
11. प्रमुख सचिव, म0 प्र0 शासन, गैस राहत एवं पुनर्वास विभा मंत्रालय, भोपाल.
12. प्रमुखसचिव,म0प्र0शासन,परिवहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल
13. प्रमुख सचिव, म0 प्र0 शासन, [illegible] विभाग, [illegible] भोपाल.
14. सचिव, म0 प्र0 लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल.
15. रजिस्ट्रार, कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल.
16. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म0 प्र0 शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर समुचित कार्यवाही हेतु अग्रेषित.
17. संचालक, लोक अभियोजन, संचालनालय, भोपाल.
18. रजिस्ट्रार, न्यायिक अकादमी, भोपाल.
19. रजिस्ट्रार, माध्यस्थम, अधिकरण, भोपाल.
20. रजिस्ट्रार, नेशनल ला इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल.
21. रजिस्ट्रार, म0प्र0 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयो भोपाल.
22. अध्यक्ष,म0 प्र0 न्यायाधीश संघ जिला न्यायालय इन्दौर.
23. महालेखाकार, म0 प्र0, ग्वालियर.
24. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश।
25. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश।
26. सचिव राज्यपाल सचिवालय, भोपाल
27. रजिस्ट्रार मानव अधिकार आयोग, भोपाल.
28. संचालक [illegible] कोष, लेखा एवं पेंशन, भोपाल
29. आयुक्त, विभागीय जांच, तृतीय तल [illegible] भोपाल
30. स्टाफ ऑफीसर, प्रमुख सचिव, म0 प्र0 शासन म0 प्र0 [illegible] विधि और विधायी कार्य [illegible] भोपाल
31. सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर
32. पीठासीन अधिकारी [illegible] वक्फ बोर्ड, कोहेफिजा, भोपाल
33. स्थापना शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल.

(जे0 के0 वैद्य)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी (म.प्र.)

सीधी, दिनांक

पृष्ठांकन क्रमांक / लेखापाल / 10

प्रतिलिपि – यथा निर्देशित –

- विशेष न्यायाधीश, सीधी। [illegible]
- प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ [illegible] न्यायाधीश [illegible]
- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीधी
- प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ [illegible] अतिरिक्त [illegible]
- प्रथम सिविल जज वर्ग–1 सीधी के [illegible] / दूसरा / [illegible]
- सिविल जज वर्ग–1 [illegible] 2 [illegible]
- प्रस्तुतकार जिला न्यायाधीश, सीधी
- [illegible] की ओर [illegible] विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के [illegible] दिनांक 15.1.2010 [illegible] 9/2003/21-1/ए [illegible] आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

[illegible]
सिविल कोर्ट [illegible]